

उत्तराखण्ड में UCC कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2024 के अंत तक उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने की उम्मीद है, एक ऐसी सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है जो लवि-इन और ववाहति जोड़ों को अपने रश्ते को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी।

- उत्तराखण्ड वधानसभा ने 7 फरवरी, 2024 को UCC बलि पारति किया।

मुख्य बडि:

- UCC ववाह की तरह ही लवि-इन संबंधों के पंजीकरण का आह्वान करता है और कहता है कलवि-इन पार्टनर की उमर 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
 - अधिकारियों के मुताबकि सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजति की जाएगी।
 - ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ दंपत्ति दोनों के लिये लाभदायक होगी क्योंकि इससे रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई बार जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
 - हालाँकि 18 से 21 वर्ष की आयु के जोड़ों के माता-पति को उनके बच्चों के लवि-इन रलिशनशिप के बारे में सूचित किया जाएगा।
- संसद में पारति वधियक में कहा गया है क बिना पंजीकरण कराए एक महीने से अधिक समय तक लवि-इन रलिशनशिप में रहने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
 - यदलवि-इन रलिशनशिप में रहने वाली किसी महिला को उसके साथी ने छोड़ दिया है, तो वह उससे गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार होगी, जिसके लिये वह उस सक्षम अदालत से संपर्क कर सकती है, जिसका उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र हो, जहाँ वे आखिरी बार साथ रहे थे।
 - पहाड़ी राज्य के छोटे आदवासी समुदाय को प्रस्तावति कानून से छूट दी गई है, जो लवि-इन रलिशनशिप के पंजीकरण को भी अनविर्य बनाता है।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption

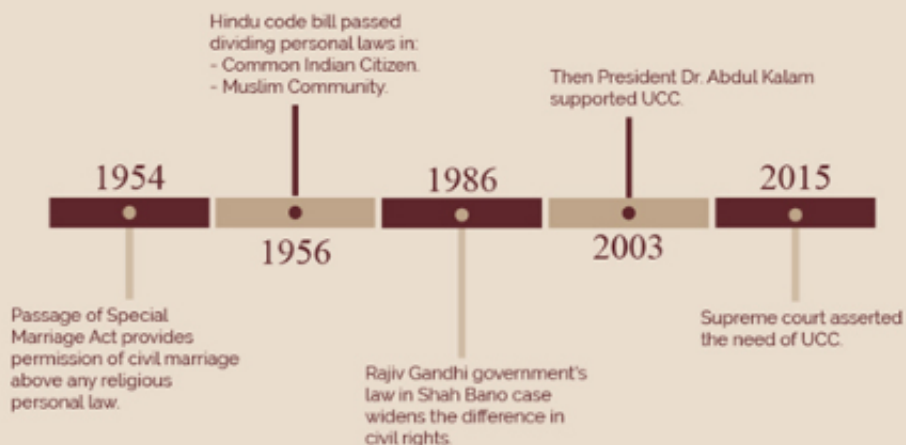


Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."
Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016